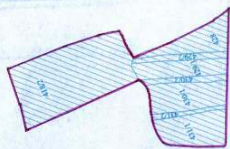
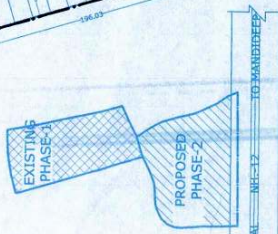
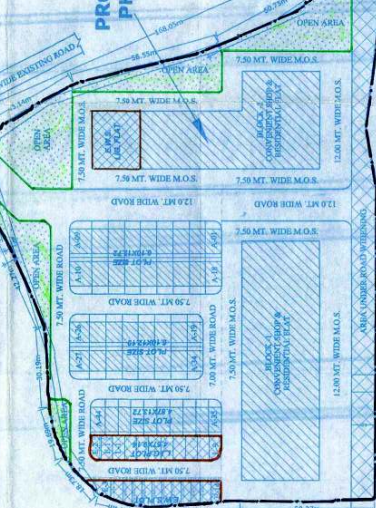


**EXISTING
PHASE-1**

AKS PLAN
1 4000LOCATION PLAN
NTS

PROPOSED 66.0 M. WIDE ROAD
TO MANDIDEEP

VH.-12

LAYOUT PLAN

1:1000

TO BHOPAL

[illegible]

OWNER	CLASS	NORTH	
		1500 HECT	1500 HECT
111 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4001	0.500 HECT	0.500 HECT
112 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4002	0.500 HECT	0.500 HECT
113 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4003	0.500 HECT	0.500 HECT
114 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4004	0.500 HECT	0.500 HECT
115 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4005	0.500 HECT	0.500 HECT
116 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4006	0.500 HECT	0.500 HECT
117 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4007	0.500 HECT	0.500 HECT
118 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4008	0.500 HECT	0.500 HECT
119 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4009	0.500 HECT	0.500 HECT
120 BATTERY PHARMASICO INC. HATCHING DAN BEEHIVE	4010	0.500 HECT	0.500 HECT
TOTAL		5.000 HECT	5.000 HECT

1. Bolded
2. Pallava Khemani
3. Madhu Khemani
4. ~~Chen~~

Sunil Saini
MDPL No. T-80
Plot No. 601, Shastri Park Midway,
Sector-44, Smart Noida, Ghazipur,
Gurgaon, Haryana, India

ARCHITECT

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी,, भोपाल-462016

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक BPLLP-4780 / एलपी.16/16(5)/जिका/नग्रानि/2010 भोपाल,दिनांक /2018
प्रति,

श्री बलदेव खेमानी आ. श्री एच. आर. खेमानी
श्रीमती पल्लवी खेमानी पत्नी श्री बलदेव खेमानी
श्री यशवंत खेमानी आ. श्री एच. आर. खेमानी
श्रीमती मधु खेमानी पत्नी श्री यशवंत खेमानी
27, लेकपर्ल गार्डन, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल भोपाल

विषय :- ग्राम-समरधा कलियासोत, तहसील हुजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक-418/2, 428, 429, 430 एवं 431 (418/2 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 428, 429/2, 429/1) कुल रकबा 3.919 में से 3.900 हेक्टेयर भूमि पर धारा 16 (5) तहत के अभिन्यास संशोधन अनुमोदन बावत्।

परियोजना का नाम-“ पृथ्वी कोर्टयार्ड ”

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 07.02.2018 एवं कार्यालय द्वारा जारी अनुमति क्रमांक-999 से 1004/एलपी-41/16/जिका/नग्रानि/2010 भोपाल,दिनांक 21.09.2010 एवं म.प्र.राजपत्र 20 अप्रैल 2017

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम-समरधा कलियासोत, तहसील हुजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक-418/2, 428, 429, 430 एवं 431 (418/2 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 428, 429/2, 429/1) कुल रकबा 3.919 हेक्टेयर भूमि में से 3.900 हेक्टेयर भूमि पर मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-9-2006-32 दिनांक 24.3.2006 द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा में स्थित है। मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/75/2013/32 दिनांक-05.7.2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में प्रकरण को राज्य नगर नियोजन संस्था को दिनांक-903 दिनांक 09.03.2018 को प्रेषित किया गया था। उक्त पर कार्यालय के अनुमति पत्र क्रमांक-999 से 1004/एलपी-41/16/जिका/नग्रानि/2010 भोपाल,दिनांक 21.09.2010 द्वारा आवासीय विकास योजना हेतु अनुज्ञा जारी की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2017 में दिये गये संशोधन अनुसार 16(5) में संशोधन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त श्री बलदेव खेमानी, श्रीमती पल्लवी खेमानी, श्रीमती मधु खेमानी, श्री यशवंत खेमानी, 27, लेकपर्ल गार्डन, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल का आवेदन धारा 16(5) में उक्त अनुज्ञा में उपांतरण हेतु उक्तावेदन में परिपेक्ष्य में एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 (3) (तीन) के अंतर्गत दिनांक 04.06.2018 दो समाचार पत्रों में निर्धारित प्रारूप में सूचना का प्रकाशन किया गया। सूचना में उल्लेखित कालावधि में कोई भी सुझाव या दावा प्राप्त नहीं हुआ था जिसमें परीक्षणोंपरांत **बहु इकाई एवं आवासीय डुप्लेक्स** विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) प्रावधानों अनुसार विकास अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :-

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क रुपये 19,600/- चालान क्रमांक-42 दिनांक 12.06.2012 एवं रुपये 400/- चालान क्रमांक-08 दिनांक 25.07.2012 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रुपये 1,47,000/-CRN क्रमांक-MPT021714082018000018 दिनांक 14/08/ 2018 सायबर ट्रेजरी,

भोपाल द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 31.05.2018 में उल्लेखित बिन्दुओं पालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में यदि कोई वाद-विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. आवासीय योजना पर भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-2 के प्रावधान मान्य होंगे।
4. एक भूखण्ड पर एक ही आवासीय डुप्लैक्स मान्य होगा।
5. प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य क्षेत्र में कुल 44 आवासीय डुप्लैक्स एवं 498 बहुइकाई का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कमजोर आय वर्ग के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10 अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार आवासीय योजना में एल. आई. जी. हेतु 41.0 से 96.0 वर्ग मीटर के 03 आवासीय भूखण्ड एवं ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 30.0 से 40.0 वर्गमीटर के 04 आवासीय भूखण्ड का प्रावधान किया गया है, एवं प्रस्तावित कमजोर आय वर्ग के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10(2) अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार योजना हेतु एल. आई. जी. हेतु 36.00 वर्ग मीटर की 30 आवासीय इकाईयाँ एवं ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 25.00 वर्गमीटर की 45 आवासीय इकाईयाँ का प्रावधान किया गया है। कृपया कालोनाइजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में इस बावत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
6. बहुइकाई मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-
 - (1) भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
 - (2) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार एम ओ एस रखे जावे।
 - (3) बहुमजिला भवन में सामने से 12.0 मीटर, पीछे से 7.50 मीटर (न्यूनतम), दायें से 7.50 मीटर (न्यूनतम) एवं बायें से 7.50 मीटर (न्यूनतम)।
 - (4) एफ. ए. आर 1:2.00 (एक अनुपात दो दशमलव शून्य) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम ऊँचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (30.0 मीटर + स्टिल्ट/पोडियम पार्किंग)
 - (5) पार्किंग:-बहु इकाई आवास हेतु एक ई. सी. एस. प्रति 100.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से कुल 300 ई. सी. एस. की आवश्यकता होगी। दो स्टिल्ट में 30.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से पार्किंग का प्रावधान किया गया है। जिसका पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
 - (6) परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
7. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 13.11.2017 में प्रस्तुत खसरा मानचित्र में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।
8. पूर्व स्वीकृत अनुमोदन पत्र क्रमांक-999 से 1004/एलपी-41/16/जिका/नग्रानि/2010 भोपाल,दिनांक 21.09.2010 द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा का अधिनियम की धारा-16(5) में संशोधन किया गया है।
9. स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
10. मार्गों का पूर्ण विकास, विद्युत प्रदाय (स्ट्रीट लाईट), जल प्रदाय, ओवर हेड टैंक, सेप्टिक टैंक, पार्को का विकास, खुले क्षेत्रों तथा मार्गों के किनारे वृक्षारोपण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक सेवा सुविधाओं/अधोसंरचना का विकास नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।

11. आवेदित स्थल पर एक्स्ट्रा हाईटेंशन/इलेक्ट्रिक लाईन (टावर लाईन) से मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार निर्धारित दूरी तक खुला क्षेत्र रखना होगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
12. सीवेज/ठोस अवशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावें। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
13. मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक-एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेंट इम्पेक्ट्स अससेमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीरेंस लेना अनिवार्य होगा।
14. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
15. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ता-धर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जायेगा, जैसा कि अनुमति है व वैसा जैसा कि अनुमति में उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
16. आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन के आधार पर परियोजना का नाम "पृथ्वी कोर्टयार्ड" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनके कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
17. **पूर्व में अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित शर्त क्रमांक-3 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-हुजूर, जिला भोपाल के समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।**
18. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख जो मार्ग चौड़ाई 66.0 मीटर है, मार्ग मध्य से 33 मीटर मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा।
19. नाला एवं नहर भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा।
20. पूर्व में जारी अनुमति पत्र क्रमांक-999 से 1004/एलपी-41/16/जिका/नग्रानि/2010 भोपाल, दिनांक 21.09.2010 द्वारा जारी अभिन्यास अनुमोदन पत्र उल्लेखित शर्तें निम्नलिखित यथावत रहेगी:-
1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-
 1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959
 2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं म. प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1993
 3. मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999
 4. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल।
 5. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल।
 6. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल।
 7. नजूल अधिकारी, भोपाल।
 8. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास के स्थिति में)।
 9. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल।
 10. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
 11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।

2. जल प्रदाय की व्यवस्था हेतु संबंधित पंचायत से लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस योजना में जल प्रदाय की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जावेगी।
3. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
4. स्थल पर विद्यमान वृक्षों का यथावत रखा जावे।
5. प्रत्येक आवास के सामने जहाँ सड़क की चौड़ाई 18 फिट या उससे अधिक हो मकान मालिक द्वारा कम से कम दो वृक्ष अपने फ्रंट एम.ओ.एस. पर लगाकर उनका रखरखाव सुनिश्चित किया जावेगा।
6. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
7. किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
8. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
9. योजना में किचन एवं बाथरूम के पानी को हरित क्षेत्र के रखरखाव हेतु उपयोग में लाने की व्यवस्था की जावे।
10. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
11. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था को विकास कार्य करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करना होगा कि अभिन्यास के अनुसार ही स्थल पवर विकास कार्य किया गया है जिसके पश्चात ही कालोनी में भवन अनुज्ञा, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त की जावेगी।
13. आवासीय भूखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के भूखण्डों हेतु विकास मापदण्ड पृथक से लेना होगा।
14. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
15. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 67 के प्रावधानों अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर निगम एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जायें।
16. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
17. मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक-एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेंट इम्पेक्ट्स अससेमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीरेंस लेना अनिवार्य होगा।
18. राज्य शासन के जनसंकल्प 2008 के परिपेक्ष्य में समस्त आवासीय कालोनियों में सार्वजनिक उद्यान का निर्माण और रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा। अतः कालोनियों में अभिन्यास के लिये छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क, बगीचें एवं वृक्षों का समूह, छोटे बच्चों के खेल के मैदान, उचित प्रकाश, पेयजल व्यवस्था, जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जायें।

19. विद्यमान एल.टी. लाईन के नीचे विकास/निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा।
20. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
21. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, म.प्र.

पृष्ठ. क्रमांक BPLLP-4780/एलपी-16/16(5)/जिका/नग्रानि/2010 भोपाल,दिनांक /2018
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली, नगर पालिका निगम,भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है:: की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, म.प्र.